<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क. :– 101 / 2015)

<u>(संस्थित दिनांक :- 13 / 03 / 2015)</u>

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

- 01. जसरथ सिंह पुत्र लज्जाराम कुशवाह, उम्र 42 वर्ष
- 02. हरजन सिंह पुत्र मनीराम कुशवाह उम्र 57 वर्ष निवासीगण :— वार्ड कमांक 12 मौ, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

...... अभुयक्तगण

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 10/07/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण जसरथ एवं हरजन पर भा.द.सं. की धारा 294, 325/34, 323/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 25/01/2015 को सुबह लगभग 11:45 बजे फरियादी मेवालाल के घर के सामने स्थित कस्बा मौहल्ला वार्ड कमांक 05 मौ में, जो कि एक लोक स्थान है, फरियादी मेवालाल को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी मेवालाल एवं कस्तूरीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी मेवालाल की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं आहत कस्तूरीबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी मेवालाल को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 25/01/2015 को सुबह लगभग 11:45 बजे फरियादी मेवालाल के घर के सामने स्थित कस्बा मौहल्ला वार्ड कमांक 05 मौ में, आरोपीगण द्वारा फरियादी मेवालाल से गाली—गलौच करने, उसकी एवं उसकी पत्नी कस्तूरीबाई की मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी मेवालाल द्वारा उसी दिनांक को दोपहर 12:15 बजे थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 17/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी मेवालाल की एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध धारा 325

भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपीगण से एक—एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी मेवालाल, आहत कस्तूरीबाई, साक्षीगण तेज सिंह एवं रामनाथ के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द. सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपीगण जसरथ एवं हरजन ने दिनांक :— 25/01/2015 को सुबह लगभग 11:45 बजे फरियादी मेवालाल के घर के सामने स्थित करबा मौहल्ला वार्ड क्रमांक 05 मौ में, जो कि एक लोक स्थान है, फरियादी मेवालाल को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?
- 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी मेवालाल एवं कस्तूरीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी मेवालाल की मारपीट कर उसे अस्थिमंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की एवं आहत कस्तूरीबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?
- 03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी मेवालाल को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
 - 04. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दू कमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

फरियादी मेवालाल अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण दशरथ एवं हरजन को जानता है। घटना दिनांक : 25 / 01 / 2015 के सुबह 10–11 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ने उसकी प्याज उखाड़ दी थी एवं उसकी मारपीट की थी। उसके बाद वह थाने गया, पुलिस वालों ने उसे उल्टी कार्यवाही की धौंस दी थी। उसके घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पुछे जाने पर मेवालाल अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को अपने प्लॉट पर गया था, जहाँ आरोपीगण ने उसे गालियाँ दी थी। मेवालाल अ.सा.०१ ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी हरिजन ने उसके सिर में लाठी मारी थी, जिससे उसके खून निकल आया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि जब उसकी पत्नी कस्तूरी बचाने आई तो उसके सिर में आरोपी जसरथ ने लाठी मारी थी, जिससे खुन निकल आया था एवं आरोपी हरिजन ने उसकी पत्नी को लाठी मारी, जो पीठ में लगी थी। साक्षी आगे कहता है कि वह यह नहीं बता सकता कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को उससे यह कहा था, अथवा नहीं कि आज तो बच गये, आइंदा जान से खत्म कर देगें। साक्षी को पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.01 का ए से ए भाग एवं पुलिस कथन प्र.पी.02 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने ऐसी रिपोर्ट / कथन पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता।

09. फरियादी मेवालाल अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा उससे गाली—गलौच करने या उसको जान से मारने की धमकी देने संबंधी तथ्य न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किये है। जबिक उसकी पत्नी कस्तूरी अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि आरोपीगण ने उसके पित को मादरचोद की गालियाँ दी और अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपीगण द्वारा फरियादी मेवालाल अ. सा.01 को जान से मारने की धमकी देने संबंधी सुझाव को स्वीकार किया है। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा फरियादी मेवालाल अ.सा.01 को जान से मारने की धमकी देने एवं उससे गाली—गलौच करने के संबंध में मेवालाल अ.सा.01 एवं उसकी पत्नी कस्तूरी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि उक्त आरोपों की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

10. मुख्य परीक्षण के पद कमांक 02 में फरियादी मेवालाल अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी हरजन ने उसके सिर में पीछे लाठी मारी थी और इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसे बचाने आई पत्नी कस्तूरी अ.सा.02 के सिर में आरोपी जसरथ ने एवं पीठ में आरोपी हरजन ने लाठी मारी थी। मुख्य परीक्षण में कहीं भी फरियादी मेवालाल अ.सा.01 ने आरोपीगण या आरोपी जसरथ द्वारा उसके हाथ के पंजे पर लाठी मारकर अस्थिभंग कारित करने का तथ्य दर्शित नहीं किया है, बल्कि प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 03 में उसके द्वारा यह दर्शित किया गया है कि आरोपी जसरथ ने उसके हाथ के पंजे पर

खण्ड़ा पटक दिया था। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में फरियादी मेवालाल अ. सा.01 द्वारा आरोपी जसरथ द्वारा उसके दाहिने हाथ के पंजे में लाठी से चोट कारित करने का तथ्य दर्शित किया है। इस प्रकार फरियादी मेवालाल अ.सा.०१ के दाहिने हाथ के पंजे में चोट आरोपी जसरथ द्वारा लाठी से कारित की गई थी अथवा खण्डा पटककर, इस वावत मेवालाल अ.सा.०१ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। उल्लेखनीय है कि यहीं वह चोट है, जिसमें अभियोजन कथा के अनुसार मेवालाल अ. सा.01 को अस्थिभंग कारित हुआ था। डॉ.आर.विमलेश अ.सा.03 ने भी उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उन्होंने आहत मेवालाल के दिनांक : 25 / 01 / 2015 को किये गये चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उसके दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर 03 गुणा 02 से.मी. का नील का निशान होना पाया था। उक्त चोट सख्त एवं भौथुरी वस्तु द्वारा पहुँचाई गई होना प्रतीत होती थी और उक्त चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्स-रे परीक्षण किये जाने पर उन्होंने आहत मेवालाल की छोटी उंगली एवं अनामिका उंगली में अस्थिभंग होना एक्स–रे रिपोर्ट प्र.पी.05 के अनुसार पाया था। डॉ. आर.विमलेश अ.सा.०३ के उक्त प्रति–परीक्षण के उपरांत भी अखिण्डत न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि उनके द्वारा इस वावत दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है, जिससे यह प्रकट होता है कि दिनांक : 25/01/2015 को आहत मेवालाल को दाहिने हाथ के कनिष्टा एवं अनामिका उंगलियों में अस्थिभंग कारित हुआ था। उल्लेखनीय यह भी है कि मेवालाल हाथ के पंजे पर आरोपी जसरथ द्वारा खण्डा पटककर उपहति कारित करने का तथ्य बताता है, जबिक कथित चक्षुदर्शी साक्षी उसकी पत्नी कस्तूरी अ.सा.02 आरोपी जसरथ द्वारा खण्डा पटककर उपहति कारित करने का कोई तथ्य दर्शित नहीं करती है, बल्कि वह आरोपीगण द्वारा उसके एवं उसके पति की लाठियों से मारपीट करने एवं लाठी लगने से उसके पति का हाथ टूट जाने का अर्थात् अस्थिभंग कारित होने का तथ्य दर्शित करती है। इस प्रकार आहत मेवालाल अ.सा.०१ को दाहिने हाथ के पंजे में अस्थिभंग किस प्रकार कारित हुआ, इस वावत फरियादी मेवालाल अ.सा.01 एवं उसकी पत्नी कस्त्री अ.सा.०२ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

11. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 03 में फरियादी मेवालाल अ.सा.01 आरोपी हरजन द्वारा उसके पैर में लाठी मारने का तथ्य दर्शित करता है, जबिक घटना की कथित चक्षुदर्शी साक्षी उसकी पत्नी कस्तूरी बाई अ.सा.03 मुख्य परीक्षण के पद कमांक 01 में आरोपीगण द्वारा लाठी से उसके पित मेवालाल के सिर एवं हाथ में चोट कारित करने का तथ्य दर्शित करती है। इसी प्रकार स्वयं फिरयादी मेवालाल उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में आरोपी हरजन द्वारा उसके पैर में लाठी की कोई चोट कारित होना दर्शित ना करते हुए आरोपी जसरथ द्वारा हाथ में एवं आरोपी हरजन द्वारा उसके सिर में लाठियों से चोट पहुँचाना दर्शित करता है। फिरियादी मेवालाल अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपीगण द्वारा उसकी पत्नी के सिर में एवं पीठ में लाठी से चोट पहुँचाये जाने का तथ्य दर्शित करता हैं, जबिक उसकी पत्नी कस्तूरी अ.सा.02 आरोपीगण द्वारा उसके सिर में एवं कमर में चोट पहुँचाया जाना दर्शित करती है, इस प्रकार किस आरोपी द्व

ारा आहत मेवालाल एवं उसकी पत्नी कस्तूरी के शरीर के किस भाग पर किस वस्तु से चोट कारित की गई, इस वावत् फरियादी मेवालाल अ.सा.01, उसकी पत्नी कस्तूरी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं फरियादी मेवालाल द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय बनाता है।

- फरियादी मेवालाल अ.सा.०१ का मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक ०१ में कहना है कि घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना मौ में की गई थी। जबकि उसकी पत्नी कस्त्री अ.सा.02 द्वारा प्रति–परीक्षण के पद कमांक 04 में यह दर्शित किया गया कि रिपोर्टे उसके द्वारा लिखाई गई थी। इसी प्रकार कस्त्ररी अ.सा.02 ने प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके पति की रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी थी, बल्कि उसके पति एवं जेट की मारपीट कर दी थी और उनको जेल भेज दिया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कस्तूरी अ. सा.02 ने पुनः आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह एवं उसका पति रिपोर्ट करने थाने गये, तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, ना ही उनके कोई कथन लिये, बल्कि उन्हें थाने से भगा दिया था। प्रति-परीक्षण के पद कुमांक 05 में कस्तूरी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि घटना वाले दिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी थी। जबिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक रणवीर अ.सा.०४ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि रिपोर्ट प्र.पी.01 फरियादी मेवालाल अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी, इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 किसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी, इस वावत फरियादी मेवालाल अ.सा.०१, उसकी पत्नी कस्तूरी अ.सा.०२, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक रणवीर अ.सा.०४ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.०१ के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है।
- 13. अभियोजन साक्षी डॉ.आर विमलेश अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/01/2015 को सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के आरक्षक क्रमांक 195 भीकम सिंह थाना मौ द्वारा लाये जाने पर आहत मेवालाल का चिकित्सीय परीक्षण करने पर आहत के एक नील का निशान 3.5 गुणा 02 से.मी. दाये हाथ के पृष्ठ भाग पर थी। आहत के खरोंच दाये कंधे के निचले भाग पर 1.5 गुणा 1/2 से.मी. की थी। आहत के सिर के दाये ओर पिछले हिस्से में फटा हुआ घाव था, जिसका आकार 1.6 से.मी. गुणा 1/4 से.मी. मॉसपेशियों तक गहरा था। आहत के खरोंच बाई ओर पीठ में भीतर की ओर थी, जिसका आकार 2.5 से.मी. गुणा 1/4 से.मी. था। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई समस्त चोटें सख्त एवं भौथुरी वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी, जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की थी, आहत को आई चोट क्रमांक 03 एवं 04 का प्रकार साधारण प्रकृति का था एवं चोट क्रमांक 01 एवं 02 की प्रकृति जानने के लिए एक्स—रे की सलाह दी थी। इस वावत् उसके द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को आहत मेवालाल का एक्स—रे परीक्षण किया गया था, जिसमें छोटी उंगली एवं अनामिका उंगुली में

अस्थिभंग होना पाया गया था। इस वावत् उसके द्वारा दी गई एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत कस्तूरी को लाये जाने पर उसके द्वारा परीक्षण करने पर आहत के सिर में दाई ओर एक फटा हुआ घाव 2.7 गुणा 1/4 से.मी. मॉसपेशियों तक गहरा मौजूद था एवं आहिता बाई जांघ में दर्द की शिकायत बता रही थी। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई चोटें सख्त एवं कुन्द वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी, जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की थी। इस वावत् उसके द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। डॉ.आर.विमलेश अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति—परीक्षण उपरांत भी अखण्डित रहा है और उनके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उनके द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03, प्र.पी.04 एवं एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है।

- अभियोजन साक्षी आर.के.पाठक अ.सा.०७ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25 / 01 / 2015 को थाना मौ में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 17/2015 अन्तर्गत धारा २९४, ३२३ एवं ५०६ भाग।। सहपठित धारा ३४ भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतू प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को फरियादी मेवालाल कुशवाह को तलब किया गया था, जो नहीं मिला था। तत्पश्चात चश्मदीद साक्षी कस्तुरीबाई पत्नी मेवालाल की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा–मौका प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात उसके द्वारा साक्षी कस्त्ररीबाई का कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था एवं दिनांक : 29 / 01 / 2015 को फरियादी मेवालाल, साक्षी रामनाथ एवं तेज सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ भी ध ाटाया-बढाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 29 / 01 / 2015 को साक्षीगण के समक्ष आरोपीगण जसरथ एवं हरजन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.09 एवं प्र.पी.10 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपीगण जसरथ एवं हरजन से एक-एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा क्रमशः प्र.पी.11 एवं प्र.पी.12 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात फरियादी मेवालाल की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर होने पर उसमें अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 325 भा.द.सं. का इजाफा किया गया था। तत्पश्चात विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
- 15. विवेचक आर.के.पाठक अ.सा.07 द्वारा आहत कस्तूरी अ.सा.02 के बताये अनुसार नक्शा—मोका प्र.पी.08 बनाया जाना दर्शित किया है, जबिक कस्तूरी अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसने विवेचक आर.के.पाठक अ.सा.07 को घटनास्थल दिखा दिया था। इस प्रकार इस वावत् उक्त साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है। कस्तूरी अ.सा.01 ने उसके प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि वह चोट लगने के कारण

दो दिन मौ अस्पताल में भर्ती रही थी और पुलिस रिपोर्ट लिखाने के एक दिन बाद उसके पास आई थी। जबिक विवेचक आर.के.पाठक अ.सा.07 ने प्रति—परीक्षण के पद कमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि नक्शा—मौका निर्मित किये जाने के दिनांक : 25/01/2015 को कस्तूरी बाई अ.सा.02 के मौ अस्पताल में भर्ती होने के कारण वह घटनास्थल पर नहीं गई थी। इस प्रकार नक्शा—मौका प्र.पी.08 कस्तूरी बाई अ.सा.02 के बताये अनुसार विवेचक द्वारा तैयार किया गया है, अथवा नहीं, इस वावत् कस्तूरी बाई अ.सा.02 एवं विवेचक आर.के.पाठक अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है। साक्षीगण रामनाथ अ.सा.05 एवं तेज सिंह अ.सा.06 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उनके पुलिस कथन कमशः प्र.पी.06 एवं प्र.पी.07 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया गया है, जबिक विवेचक आर.के.पाठक अ.सा.07 ने प्रति—परीक्षण के पद कमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि रामनाथ एवं तेज सिंह द्वारा प्र.पी.06 एवं प्र.पी.07 का ए से ए भाग का कथन उन्हें नहीं दिया गया। इस प्रकार इस वावत् विवेचक आर.के.पाठक अ.सा.07 एवं उक्त साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

16. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण रामनाथ अ.सा.05 एवं तेज सिंह अ.सा.06 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण जसरथ एवं हरजन द्वारा दिनांक 25/01/2015 को सुबह लगभग 11:45 बजे फरियादी मेवालाल के घर के सामने स्थित करबा मौहल्ला वार्ड क्रमांक 05 मौ में, जो कि एक लोक स्थान है, फरियादी मेवालाल को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित करने, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी मेवालाल एवं कस्तूरीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी मेवालाल की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित करने एवं आहत कस्तूरीबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं आहत कस्तूरीबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं फरियादी मेवालाल को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण जसरथ एवं हरजन ने दिनांक : 25/01/2015 को सुबह लगभग 11:45 बजे फरियादी मेवालाल के घर के सामने स्थित कस्बा मौहल्ला वार्ड कमांक 05 मौ में, जो कि एक लोक स्थान है, फरियादी मेवालाल को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी मेवालाल एवं कस्तूरीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी मेवालाल की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं आहत कस्तूरीबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी मेवालाल को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

- 18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण जसरथ एवं हरजन के विरूद्ध धारा 294, 325/34, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294, 325/34, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 19. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 20. प्रकरण में आरोपीगण जसरथ एवं हरजन से जब्तशुदा एक—एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद